

तकनीकी बिड  
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
अल्पकालीन-निविदा-प्रपत्र

निविदा मूल्य : 500 रुपये

निविदा का नाम बीड किये गये लिखित उत्तरपुस्तिकाओं की बिक्री/बीड आउट हेतु  
आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम .....  
.....  
दूरभाष नम्बर .....  
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप .....  
पत्र व्यवहार का पता .....  
.....  
अर्नेस्टमनी रुपये 5,00,000/- मात्र (रुपये पाँच लाख मात्र)  
एफ.डी.आर. नं0 .....  
दिनांक ..... बैंक का नाम .....

निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि 25 मार्च, 2017 से  
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि 30 मार्च, 2017 अपरान्ह 3.30 बजे तक  
निविदा खुलने की तिथि व समय- 30 मार्च, 2017 अपरान्ह 4.00 बजे

निविदा का विवरण मैं/हम .....  
फर्म का नाम .....  
प्रोपराइटर/पार्टनर .....  
निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को  
सहमत हूँ।  
.....  
(हस्ताक्षर निविदादाता)  
पता .....  
टेलीफोन/मोबाइल नं0 .....  
व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं0 ..... दिनांक.....  
आयकर पैन नम्बर .....

नोट-

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रुपये 500/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि के एफ.डी.आर. के साथ जो "वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

# भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## घोषणा-पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .....  
पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी ..... फर्म का नाम .....  
..... बीड किये गये लिखित उत्तरपुस्तिकाओं की बिक्री/बीड आउट हेतु अपनी निविदा की दरें  
संलग्न कर रहा हूँ। अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या .....दिनांक ..... रूपये .....बैंक  
का नाम ..... जो वित्त अधिकारी डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के  
नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भाँति पढ़ लिया है तथा  
मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत  
राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का  
मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं  
रहूँगा।

एतद्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के  
स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये  
समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह—

निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं पता

निविदादाता का नाम .....

.....

.....

हस्ताक्षर एवं पता .....

फर्म से सम्बन्ध .....

.....

पूरा पता .....

दिनांक— .....

मोबाइल नं० .....

नोट—

- 1— निविदा की तीन प्रतियाँ मिलेंगी।
- 2— दो प्रतियाँ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी।
- 3— निविदा के साथ रूपये 100/- का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## वित्तीय विड

बीड किये गये लिखित उत्तरपुस्तिकाओं की बिक्री/बीड आउट हेतु

---

मैं/हम ..... (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम .....  
..... फर्म का पता.....विश्वविद्यालय  
की सभी शर्तें व नियम मुझे पूर्णरूप से मान्य हैं ।

### प्रस्तावित दरें

उस वस्तु का नाम जिसके लिए टेण्डर दिया जा रहा है - .....

दर - प्रति किलो (रूपये अंकों व शब्दों में)

अ- प्रयोग की हुई उत्तरपुस्तिकायें

.....

ब- कार्यालय झाड़न की रद्दी

.....

नोट - वैट/कर हमारी फर्म के द्वारा पृथक से जमा किया जायेगा । इसका उत्तरदायित्व हमारा होगा ।

दिनांक .....

निविददाता के हस्ताक्षर  
फर्म की मोहर

फोन/मोबाईल : .....

व्यापार क' रजिस्ट्रेशन नं० .....

आयकर पैन नं० .....

# डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय की बीड की गयीं उत्तरपुस्तिकायें वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (बी.एड. को छोड़कर) विक्री/वीड आउट जो किया जायेगा उसे किसी भी दशा में सामान्य कार्य में पुनः बाजार व अन्य सार्वजनिक कार्य में प्रयोग में नहीं लाया जायेगा, यदि ऐसा संज्ञान में आता है व यदि कोई दुरुपयोग करता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा ।
2. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंकों का बैंक एफ.डी.आर. ही (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण-पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) लगाना अनिवार्य व आवश्यक होगा।
4. जिस कार्य/आपूर्ति की दरें दी जा रही हैं उसे किसी भी स्थिति में प्रस्तावित दरों से कम नहीं किया जायेगा, यदि किसी कारणवश फर्म के द्वारा प्रस्तावित दरों पर उक्त रद्दी क्य नहीं की जाती है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा व उसके खिलाफ विश्वविद्यालय विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फ़ैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फ़ैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
5. वैट/सेवाकर जमा कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा। जमा का साक्ष्य विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. जिस सामग्री के लिए आदेश दिया गया है उसे सम्बन्धित स्थल से ले जाना निविदादाता का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा/परिवहन व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा। रद्दी तुलवाई के समय धर्मकोटा पर सक्षम स्तर से नामित समिति के कम से कम तीन सदस्यों के समक्ष उपस्थिति प्रमाण सहित भारतोल कराना आवश्यक होगा।
7. सामग्री के परिवहन के समय टैक्स से छूट के लिए यदि किसी प्रकार के फार्म/लाइसेंस/फीस की आवश्यकता होती है, तो वह निविदादाता द्वारा व्यवस्था की जायेगी।
8. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फ़ैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। रद्दी की कुल न्यूनतम अनुमानित धनराशि रुपये 30 लाख लगभग हो सकती है।
10. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
11. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते हैं तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।
12. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होंगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें समयावधि पूर्ण होने तक स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो आगे भी इन्हीं दरों पर कार्य करना होगा। किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इन शर्तों से अलग कर सकते हैं।
13. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित सामग्री का नमूना गुणवत्तायुक्त नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
14. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
15. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः "मूल प्रति" तथा दूसरे लिफाफे पर "डुप्लीकेट प्रति" अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।  
(ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।

(ग) तकनीकी बिड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. आर. एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर "तकनीकी विड" अवश्य लिखा जाये।

(घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।

16. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
17. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट एक ही स्थान पर हो, जिसका साक्ष्य संलग्न करना होगा। उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
19. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी।
20. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य न करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में भी पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

दिनांक-

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

-----  
-----  
-----

दूरभाष नं० -----

मोहर